

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 15/2022)

भादूविप्रा ने "छोटे सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग" पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 23 मार्च 2022: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "छोटे सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग" पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. स्ट्रीट फर्नीचर जैसे उपयोगिता पोल, होर्डिंग, लैंप पोस्ट, ट्रैफिक सिग्नल, और सार्वजनिक संरचनाएं जैसे गज़ेबोस, बस स्टॉप आदि शहरवासियों को उपयोगिता सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत कम या बिना किसी बदलाव के, उनका उपयोग दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए छोटे सेल और एरियल फाइबर को माउंट करने के लिए भी किया जा सकता है। स्ट्रीट फर्नीचर विभिन्न सार्वजनिक और निजी प्राधिकरणों के अधीन हैं जिनके पास नगर निकायों, स्मार्ट सिटी प्रशासन, सरकारी विभागों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और मेट्रो ट्रेन सिस्टम, स्टेडियम आदि में प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र हैं। इन नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा स्ट्रीट फर्नीचर तक पहुँच प्रदान करने से देश में 5जी छोटे सेल की तैनाती में एक महत्वपूर्ण बाधा दूर हो सकती है। बदले में, 5जी जब इन प्राधिकरणों के स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे पर तैनात किया जाता है, तो एक जीत की स्थिति पैदा करता है जहाँ अधिकारियों को 5जी उपयोग के मामलों जैसे स्मार्ट कचरा निपटान, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन, स्वचालन, ऊर्जा प्रबंधन, राजस्व सृजन के नए तरीके आदि से लाभान्वित किया जा सकता है। स्ट्रीट फर्नीचर पर छोटे सेल और एरियल फाइबर की तैनाती के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक सेवाओं, मनोरंजन, कहीं से भी काम, वित्तीय सेवाओं आदि के लिए उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट-आधारित सेवाओं की सुविधा प्रदान करना डिजिटल रूप से समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक सही कदम होगा। सार्वजनिक स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग से छोटे सेल और फाइबर के लिए टावरों या पोलों की ग्रीनफील्ड परिनियोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार नेटवर्क और सेवाओं को शुरू करने में लगने वाले पूंजीगत व्यय और समय को कम किया जा सकेगा। विभिन्न संस्थाओं के बीच बुनियादी ढांचे का यह साझाकरण, पीएम गति शक्ति पहल के भी अनुरूप है।

3. स्ट्रीट फर्नीचर पर छोटे सेल लगाने के लिए जिन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ, बैकहॉल और बिजली की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त स्ट्रीट फर्नीचर की पहचान करना, परिनियोजन ऊँचाई, उपयुक्त उपकरण लगाने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर की भार वहन क्षमता, मापनीयता, और स्थानीय स्वीकृतियों से संबंधित चिंताएं शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य मुद्दों जैसे विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच स्ट्रीट फर्नीचर को साझा करना, राज्य बिजली कानूनों के तहत बिजली आपूर्ति के लिए आवश्यक अनुमति, छोटे सेल परिनियोजन के लिए छूट या थोक अनुमति आदि को भी संबोधित करने की आवश्यकता होगी।

4. इस आधार पर, प्राधिकरण, वर्तमान परामर्श पत्र के माध्यम से देश में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के सफल रोलआउट के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके बाहरी छोटे सेल और एरियल फाइबर परिनियोजन से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की राय प्राप्त करने का इरादा रखता है।

5. परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 20 अप्रैल 2022 तक और प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हो, 4 मई 2022 तक आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेल आईडी: advbbpa@tra.gov.in पर और एक प्रति को jtadv-bbpa@tra.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार, (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण) से, दूरभाष क्रमांक - +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।